रहीम खां .... बनाम .... जमीला

किस्म मुकदमा .... 225 RT Act .... नं. .... सन् 19/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.10.19	पत्रावली बाद जांच रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। अपील मियाद बाहर पेश की गई है अतः सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की जावे।	

पत्रावली उपखण्ड अधिकारी अलवर के कोर्ट कैम्प बहादुरपुर के निर्णय दिनांक 17.05.2018 के विरूद्ध लोक अदालत में किये गये निर्णय के खिलाफ पेश की गई है।

अभि. अपीलांट द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट संख्या 1 लगा. 3 मुताबिक रिकॉर्ड निहित भाग अनुसार काबिज काश्तकार खातेदार है एवं मुस्लिम धर्म के अनुयायी हैं जिस वजह से हम पर मुस्लिम लॉ के प्रावधान लागू होते हैं। जिनमें लडकियों का दादा/पिता की कृषि भूमि, जमीन जायदाद में कोई हक नहीं होता है और न ही असल रेस्पो0 मु0 जमीला विवादित आराजी पर काबिज है। यह भी प्रार्थना की गई कि अपीलांट को बिना तामील कराये, सुनवाई का अवसर दिये बिना राजस्व लोक अदालत में निर्णय सादिर फरमाया गया है।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20(3) में यह प्रावधान है कि जो प्रकरण लोक अदालत के समक्ष लिया गया है, वहां लोक अदालत उस मामले या विषय का निपटारा करने के लिये अग्रसर होगी और पक्षकारों के बीच समझौता करायेगी या परिनिर्धारण करेगी। इस अधिनियम की धारा 21 व 22 में अत्यन्त प्रासंगिक है जो निम्नानुसार है–

(1) लोक अदालत का प्रत्येक निर्णय, अधिनिर्णय यथा स्थिति सिविल न्यायालय की डिक्री या किसी अन्य न्यायालय का आदेश माना जायेगा और ऐसे किसी लोक अदालत द्वारा धारा 20 की उपधारा 1 के अधीन उसका निर्णय किसी लोक अदालत द्वारा मामले में समझौता या परिनिर्धारण किया गया है, वहां ऐसे मामले में संदत्त न्यायालय फीस, न्यायालय फीस अधिनियम 1870 के उपबंधित रीति से लौटा दी जायेगी।

(2) लोक अदालत या स्थाई लोक अदालत द्वारा किया गया प्रत्येक अधिनिर्णय अन्तिम और विवाद के सभी पक्षकारों पर होगा तथा अधिनिर्णय के खिलाफ किसी न्यायालय में कोइ अपील नही होगी।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी। तहत अदालत के निर्णय का अवलोकन किया। बहस पर मनन करने उपरान्त हम ये आदेश देना उचित समझते हैं कि प्रथम तो उक्त अपील लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ पेश की गई है। दूसरा तहत अदालत द्वारा अपील में वर्णित सभी बिन्दुओं का अवलोकन नही किया जाकर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है। अतः प्रथम तो लोक अदालत के बिन्दु पर हम उक्त अपील में कोई आदेश देना उचित नही समझते हुये उक्त अपील को तहत अदालत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पुनः दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देते हुये विधिसम्मत अपना निर्णय पारित करें । आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील दाखिल दफ़तर हो। sd/-

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रहीम खां बनाम जमीला	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22-10-19	पत्रावली प्रार्थना पत्र पर आज पेश । अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.10.2019 में अपील स्वीकार होने का तथ्य स्पष्ट नहीं होने के कारण तहत अदालत द्वारा पारित आदेश प्रभावी बना हुआ है तथा आदेश स्पष्ट नहीं होने से राजस्व रिकॉर्ड में लगे स्टे नोट को संबंधित पटवारी/तहसीलदार द्वारा नही हटाया जा रहा है। प्रार्थना पत्र के साथ मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 10.10.2019 के अंतिम पैरा को निम्नानुसार पढा जावे। "हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी। तहत अदालत के निर्णय का अवलोकन किया।बहस पर मनन करने के उपरान्त हम ये आदेश देना उचित समझते हैं कि प्रथम तो उक्त अपील लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ पेश की गई है। दूसरा तहत अदालत द्वारा अपील में वर्णित सभी बिन्दुओं का अवलोकन नहीं किया जाकर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत अदालत के आदेश फर्द अहकाम दिनांक 17.05.2018को अपीलांट के हक हिस्से तक प्रचलन से रोका जाता है तथा प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पुनः दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देते हुये विधिसम्मत अपना निर्णय पारित करें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।" प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शामिल मिसल हो।	